उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 22 माघ, शक संवत् 1947

(11 फरवरी, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करेंगे।

2-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

3-मुख्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2021-2022 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 की उपधारा-5(क) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

4-वित्त मंत्री, वित्त परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (भाग-1 से भाग-9 तक) को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

5-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-129/2025-2853-तीस-3-2025, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 को मोटरयान

अधिनियम, 1988 की धारा-212 की उपधारा-5 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, जनपद-पीलीभीत/शाहजहांपुर के किसानों के केन्द्र सरकार से धान केन्द्रों पर लगे धान के निस्तारण हेतु जनवरी, 2025 तक एफ0आर0के0 की टेस्टिंग रिपोर्ट 03 दिवस में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता व डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-मुख्य मंत्री, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-डी-6/ई-1/2025, दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 में पुनर्विचार करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का 27 प्रतिशत पद आरक्षित करने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

8-मुख्य मंत्री, क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय, वजीरगंज, लखनऊ के उचित दर विक्रेता श्री अशोक कुमार मेहरोत्रा एवं कुछ अन्य कोटेदार द्वारा सरकारी राशन की घटतौली के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

9-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-मड़ोरा कलां, विकास खण्ड-मोंठ, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

10-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत वार्ड नम्बर-12, नगर पालिका बरूआसागर, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

11-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-चमखर, तहसील-महोली, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

12-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-भिलवल, विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

13-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट-टप्पा खजुरिया, विकास खण्ड-परसेण्डी, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से प्राचीन शिव मन्दिर को जाने वाली सड़क के मरम्मत का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

14-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नवागांव, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

15-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-करसड़ा (सगरा), पोस्ट-कछवां, विकास खण्ड-मझवां, जनपद-मिर्जापुर के निवासियों की ओर से बारातघर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

16–श्री सत्य पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (द्वितीय दिवस) :-

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 09 फरवरी, 2026 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'झ')

लखनऊ :
बुधवार, 22 माघ, शक संवत् 1947
(11 फरवरी, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

11 फरवरी, 2026 **विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2026) का प्रथम बुधवार**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	29-1-2026
*2	29-1-2026
*3	30-1-2026
*4	31-1-2026
*5	31-1-2026
*6	31-1-2026
*7	31-1-2026

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
अतारांकित प्रश्न	
1	29-1-2026
2	31-1-2026

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्थाई तौर पर कम से कम एक वर्ष में कितने नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हुये हैं, के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

*1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में स्थाई तौर पर कम से कम एक वर्ष का रोजगार में कितने नवयुवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 01 जनवरी, 2026 के मध्य प्राप्त कराया गया है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

रोजगार संगम पोर्टल एवं आयोजित रोजगार मेलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य के आरक्षण हेतु निर्धारित कोटे के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
2

*2-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि रोजगार संगम पोर्टल एवं आयोजित रोजगार मेलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण अथवा प्राथमिकता की क्या व्यवस्था है ?

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रूप-रेखा एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोटा प्रतिशत क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

जनपद-सिद्धार्थनगर में कारागारों में बन्दी परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 3	*3-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के कारागारों में शैक्षिक कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की परीक्षा वर्ष 2023-24 से लेकर 2024-25 तक कितने बन्दी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्कूल में क्रमवार कितने उत्तीर्ण हुए ? (ग) क्या हाई स्कूल बन्दी परीक्षार्थी में से इण्टर कक्षाओं में पंजीकृत होने वाले परीक्षार्थियों की क्रमवार संख्या कितनी है ? (घ) क्या ऐसे बन्दियों को परीक्षा की तैयारी हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ? (ङ) क्या जिला कारागार सिद्धार्थनगर में बन्दी परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	कारागार मंत्री

परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु एजेंटों द्वारा अवैध रूप से लाइसेंस शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 4	*4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सरकारी शुल्क लगभग 1350 रुपए है, किन्तु एजेंट द्वारा पब्लिक से 20 से 25 हजार रुपये तक लाइसेंस शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे लेकर आम-जनता परेशान है ? (ख) उक्त अनियमितता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही हो सके ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रम एवं सेवायोजन विभाग में अनुदेशकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 5	*5-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि द्वितीय सत्र दिनांक 13 अगस्त, 2025 के तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के क्रम में जाँच समिति बनाकर जाँच कराये जाने के आदेश दिये गये थे ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो जाँच प्रगति एवं रिपोर्ट का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या श्रम एवं सेवायोजन विभाग में 25 वर्षों से कार्यरत अनुदेशकों की सहायक सेवायोजन अधिकारी पद पर पदोन्नति वर्ष 2004 से लम्बित है तथा 2019 की नई नियमावली प्राकृतिक न्याय के विपरीत पूर्व नियुक्त अनुदेशकों पर लागू की जा रही है ?

(घ) क्या निदेशक, सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रमुख सचिव को प्रेषित पदोन्नति प्रस्ताव एवं पूर्व निदेशक के दिनाँक 19 अगस्त, 2014 के पत्रांक सं0-1152/ई-1/0302/पुनर्गठन/2010 पर तत्काल निर्णय लेकर पुरानी नियमावली के आधार पर पदोन्नति पूरी की जाएगी ?

(ङ) क्या पूर्व नियुक्त अनुदेशकों पर नई नियमावली थोपना बन्द कर उनके वैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
6

*6-[अन्तरित]

जनपद-झाँसी व प्रयागराज में नये बस अड्डे का निर्माण के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
7

*7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि झाँसी व प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 01 जनवरी, 2026 के मध्य किसी नये बस अड्डे का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव या लक्ष्य था ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री पवन कुमार सिंह
1

1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में नगर पालिका बिसवां-लखनऊ बस अड्डे पर पुरुष तथा महिला प्रसाधन की समुचित व्यवस्था न होने से यात्रियों को विशेषकर महिलाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निराकरण हेतु बस अड्डे पर पुरुष प्रसाधन तथा महिला प्रसाधन का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 2	2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-रायबरेली में ग्राम सहरी कौड़ी, पो0-कृष्णपुर ताला में कितनी निराश्रित विधवा हैं तथा उनमें से आरती पत्नी स्व0 छोटे लाल व अन्य निराश्रित विधवाओं के गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड बने हैं ?	मुख्य मंत्री

(ख) यदि नहीं बने हैं तो कब तक निराश्रित विधवाओं के गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड बनवायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोंठ, ग्राम पंचायत-मड़ोरा कलां में श्री देवीशरण के मकान से श्री बल्लू गुप्ता के मकान तक लगभग 250 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोंठ, ग्राम पंचायत-मड़ोरा कलां में श्री देवीशरण के मकान से श्री बल्लू गुप्ता के मकान तक की लगभग 250 मीटर रोड बेहद खराब है, क्षेत्रवासियों व विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को आने-जाने में बड़ी समस्या होती है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोंठ, ग्राम पंचायत-मड़ोरा कलां में श्री देवीशरण के मकान से श्री बल्लू गुप्ता के मकान तक लगभग 250 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम–213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :–जनपद–झांसी के अन्तर्गत नगर पालिका बरूआसागर के वार्ड नं0–12 में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद–झांसी के अन्तर्गत नगर पालिका बरूआसागर के वार्ड नं0–12 में अंशुल सेन के मकान से आई0डी0 त्रिपाठी स्कूल की लगभग 200 मीटर रोड बेहद खराब है, क्षेत्रवासियों व विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को आने–जाने में बड़ी समस्या होती है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद–झांसी के अन्तर्गत नगर पालिका बरूआसागर के वार्ड नं0–12 में लगभग 200 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर-शाहजहांपुर (NH-30) राष्ट्रीय राजमार्ग, तहसील-महोली, ग्राम-चमखर में स्थित सती जय देवी मन्दिर तक लगभग 02 किमी0 सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर-शाहजहांपुर (NH-30) राष्ट्रीय राजमार्ग, तहसील-महोली, ग्राम-चमखर में स्थित सती जय देवी मन्दिर तक लगभग 02 किमी0 सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं, स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-सीतापुर-शाहजहांपुर (NH-30) राष्ट्रीय राजमार्ग, तहसील-महोली, ग्राम-चमखर में स्थित सती जय देवी मन्दिर तक लगभग 02 किमी0 सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड त्रिवेदीगंज, ग्राम पंचायत भिलवल में श्री सददन के दरवाजे से मकनपुर-मौलाबाद रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड त्रिवेदीगंज, ग्राम पंचायत भिलवल में श्री सददन के दरवाजे से मकनपुर-मौलाबाद रोड तक सड़क काफी जर्जर अवस्था में होने के कारण आयेदिन लोग चोटिल होते हैं इसी खड़न्जा से कई गांवों के लोगों का आवागमन होता है, साथ ही कई गांव के बच्चे इसी रास्ते से इण्टर कालेज भिलवल पढ़ने जाते हैं, रास्ता खराब होने के कारण आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड त्रिवेदीगंज, ग्राम पंचायत भिलवल में श्री सददन के दरवाजे से मकनपुर-मौलाबाद रोड तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-परसेण्डी, ग्राम व पोस्ट-टप्पा खजुरिया में स्थित प्राचीन शिव मन्दिर को जाने वाले मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-परसेण्डी, ग्राम व पोस्ट-टप्पा खजुरिया में स्थित प्राचीन शिव मन्दिर को जाने वाले मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने जहां पर श्रावण के महीने में काफी संख्या में भक्त व ग्रामीण पूजा-अर्चना व जलाभिषेक करने के लिये आते हैं, उस मन्दिर को मुख्य मार्ग से आने वाले मार्ग पर पुरानी आर0सी0सी0 बनी हुई थी जो पुरानी होने की वजह से काफी जर्जर हो गयी है, जिससे रास्ते में कई जगह गड्ढे व जलभराव की स्थिति से सभी लोगों को आने-जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-परसेण्डी ग्राम व पोस्ट-टप्पा खजुरिया में स्थित प्राचीन शिव मन्दिर को जाने वाले मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी ‘छ’

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-कसमण्डा, ग्राम पंचायत-नवागांव के मजरा कंचनपुर के सम्पर्क मार्ग लगभग 1400 मी0 डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-कसमण्डा, ग्राम पंचायत-नवागांव के मजरा कंचनपुर के सम्पर्क मार्ग लगभग 1400 मी0 डामरीकरण रोड है। इस मार्ग पर खड़न्जा लगा है, जो बहुत ही जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गया है जिसके कारण विद्यालय आने-जाने वाले छात्रों/छात्राओं ग्रामीणों को आवागमन में बहुत परेशानी होती है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-कसमण्डा, ग्राम पंचायत-नवागांव के मजरा कंचनपुर के सम्पर्क मार्ग लगभग 1400 मी0 डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम-करसड़ा (सगरा), विकास खण्ड-मझवां, पो0-कछवां में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम-करसड़ा (सगरा), विकास खण्ड-मझवां, पो0-कछवां में बारात घर बनवाया जाना अति आवश्यक है। जिसकी ग्रामवासियों को बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब कभी गांव में शादी-विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रम करना पड़ता है। तो टेन्ट लगाने के लिये कहीं पर्याप्त जगह बचा नहीं है। छोटा बड़ा कोई कार्यक्रम यदि करना हो तो हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम-करसड़ा (सगरा), विकास खण्ड-मझवां, पो0-कछवां में बारात घर का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूची

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरण पाल कश्यप, (डॉ0) मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने तथा प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, साइबर क्राइम डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-शिक्षा के गिरते हुए स्तर सुधारने के सम्बन्ध में, 3-संविधान में नौकरियों में एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 को दिये गये आरक्षण का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में, 4-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 5-शिक्षण संस्थाओं पर बिजली की दर व्यवसायिक रेट से ज्यादा लगाये जाने के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में रुके विकास कार्य को प्रारम्भ करने के उपाय के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली की समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में, 10-शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 11-चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 व 12 को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

12-मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

13-मदरसा विद्यालयों की जाँच विभिन्न विभागों से कराने के नाम पर विद्यालयों का उत्पीड़न बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

14-आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15-विषय विशेषज्ञों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

16-राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रोन्नति वेतनमान व एरियर का भुगतान की पत्रावलियों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में,

18-शिक्षामित्रों का मानदेय महंगाई के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में,

19-बोर्ड परीक्षा केन्द्र की नीति में सभी बच्चियों को बाह्य केन्द्र की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

20-शीतकालीन अवकाश में ग्रीष्मकालीन विशेष अवकाश में बच्चों के साथ अध्यापकों को भी अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में,

21-शिक्षण सत्र पूर्व की भाँति जुलाई से जून की पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ तथा उसमें आरक्षण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

23-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय संस्थाओं को एक समान अंक दिया जाय। राजकीय, एडेड, वित्त विहीन का भेदभाव समाप्त किया जाय, जैसे-राजकीय को 50 अंक, एडेड को 40 अंक और वित्त विहीन विद्यालय को 20 अंक निर्धारित हैं,

24-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय विद्यालयों का संसाधन एवं मुख्य सड़कों को आधार बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए केन्द्र व्यय दिये जाने के सम्बन्ध में,

26-माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में दिये गये प्राविधानों के मानक के अनुसार एडमीशन व क्लास परमीशन, अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार एडमीशन लिये जाने के सम्बन्ध में,

27-एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्राथमिक विद्यालयों में N.C.E.R.T. पुस्तकें लागू किये जाने तथा पुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

29-शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के शिक्षकों के सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में,

30-बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(ग) का अनुपालन प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

31-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान (एक लाख बीस हजार से बढ़ाकर तीन लाख पचास हजार) मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,

32-सरकार द्वारा नये धान गेहूँ खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,

33-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब का 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

34-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

35-छात्र-छात्राओं को लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

36-ओला वृष्टि व वर्फ बारी से नष्ट हुयी फसलों की क्षतिपूर्ति के बारे में,

37-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति, और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

39-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गढ्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में,

42-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या रोके जाने के सम्बन्ध में,

43-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

44-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

45-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

46-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

47-सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश के बाद भी मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराये जाने तथा नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

48-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

49-प्रदेश के अधिवक्ताओं को भत्ता दिये जाने तथा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार कौंसिल उ0प्र0 को सरकार द्वारा बजट में कमी किये जाने के सम्बन्ध में,

50-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

51-अल्प संख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

52-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

53-राज्य कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण बन्द किये गये भत्ते आदि को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

54-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

55-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है,

56-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर की आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,

57-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

58-बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

59-छात्र यूनियनों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

60-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

61-किन्नर समाज कल्याण के बारे में,

62-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

63-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।